

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :- 90/2023

रुकमा पुत्री छोगा गुर्जर निवासी काटूदा तह0 वेगू
वादीया

बनाम

- 1 अलोल पुत्री छोगा गुर्जर निवासी काटूदा तह0 वेगू
- 2 कालीबाई पत्नी स्व. कन्हैयालाल गुर्जर निवासी काटूदा तह0 वेगू
- 3 देवराम पिता कन्हैयालाल गुर्जर ना.बा.जरिये सरपरस्त माता कालीबाई नि. काटूदा तह0 वेगू
- 4 विनोद पिता कन्हैयालाल गुर्जर ना.बा.जरिये सरपरस्त माता कालीबाई नि. काटूदा तह0 वेगू
- 5 सुन्दरबाई पिता छोगा गुर्जर हा.मु. पति प्रभूलाल गुर्जर निवासी सामरियाखुर्द तह0 वेगू
- 6 सोनिया पिता कन्हैयालाल गुर्जर ना.बा. जरिये सरपरस्त माता कालीबाई नि. काटूदा तह0 वेगू
- 7 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, वेगू

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लालूराम कुमावत की उपस्थिति एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्रीकी अनुपस्थिति में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 11.12.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :-

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द वंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा काटून्दा हल्का काटून्दा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1- श्रीमति रुकमा पुत्री छोगा गुर्जर सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1197 मेसे	0.0600
1198 मेसे	0.0125
1302 मेसे	0.1150
1303 मेसे	0.0300
1386 मेसे	0.1600
1390 मेसे	0.2775
1921/1210मेसे	0.045

कीता- 07 0.7000 हैक्टर

2- श्री मति अलोल पुत्री छोगा गुर्जर हि.1/3, कालीबाई पति स्व कन्हैयालाल गुर्जर हि. 1/12, ना.बा. देवराम पुत्र कन्हैयालाल सरपरस्त माता कालीबाई गुर्जर हि. 1/12, ना.बा. विनोद पुत्र कन्हैयालाल सरपरस्त माता कालीबाई गुर्जर हि. 1/12, सुन्दरबाई पुत्री छोगा गुर्जर हि.1/3, ना.बा. सोनिया पुत्री कन्हैयालाल सरपरस्त माता कालीबाई गुर्जर हि. 1/12, सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1197 मेसे	0.1800
1198 मेसे	0.0375
1302 मेसे	0.3450
1303 मेसे	0.0900
1386 मेसे	0.4800
1390 मेसे	0.8325

कीता- 07 2.1000 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 /

दिनांक :-

वाद पत्र संख्या 90/2023 व अनवान रुकमा बनाम अलोल वगै. वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में न्यायालय द्वारा किये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू